

कार्यसूची

राष्ट्रीय पारिधिपिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या- पारिधिपिकीयद सम्बद्धता/2022/7817

दिनांक: 20/08/2022

कार्यसूची

अधिन आदेशीय तस्वीरी विद्या परिषद, नई दिल्ली कार्यालय के अधिनित ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैलिक सन 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्वीय तस्वीरी विद्यान संस्थाओं की अनुमोदित स्थान किए जाने के उपरान्त पारिधिपिक शिक्षा परिषद, 2020 संस्थाओं की सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 20/08/2022 को पारिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सन 2022-23 हेतु अधिनित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व में संघटित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार परामर्शक प्रवेश सम्बद्धता वृद्धि सहित अन्य सूची पर विचार करने हुए सन 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को पारिधिपिक शिक्षा परिषद, आ एड सल्लयक द्वारा सन 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधिन परामर्शक एवं आर्से अधिन प्रवेश सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4079 - R.C.C. COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था की स्थापना की तिथि	पारिषद द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	20/08/2022	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिनिस्ट्रेशन (एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारिधिपिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा पारिधिपिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, विनियमकारी-2000, संशोधित विनियमकारी-2018 तथा संस्था-संस्था पर निर्णय शर्तनामों का अनुपालन करेगी तथा सुनक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुनक तालिका का पूर्णतः अनुपालन हेतु एड 30160/00/- प्रतिवर्ष, टी कॉपीय कार्यालयी कार्यालय हेतु एड- 45000/00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा टी कॉपीय कार्यालयी (टी कॉपीय कार्यालयी कार्यालय) हेतु एड-22500/00/- प्रतिवर्ष सुनक ही प्रत्येक परामर्शक से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिनित परामर्शक/संस्थाओं में सुनक के संचयन में समत-समय वा शर्तनाम द्वारा निर्णय लिये जाने वाले शर्तनामों का पालन होगा, और तदनुसार बदलायी किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा सन 2022-23 हेतु किए गए पुनर्विचारण किया जाता है, जो प्रवेश की शर्तनामों की शर्तों हैं।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अधिनित शर्तों को ही स्वीकृत किया जायेगा।
- ✓ संस्था को संयुक्त-समय वा निर्णय शर्तनामों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता सुनक उपाय करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश संयुक्त द्वारा निर्णय विनियमकारी/अधिनित/शर्तनामों/निर्देशों एवं निर्देशक, पारिधिपिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा पारिधिपिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा किये गये निर्णयों, विनियमों, अधिनित एवं निर्देशों का पालन करने के लिये सम्बद्धता है।

हे संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में अग्रस्त उत्तरदायित्व संस्था को होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशानलय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम दायर किया जाता है तथा दायर कदम के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्थान प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग चारम होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद संघीयता को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्ही प्रवेश की (काउन्सिलिंग के अभाव में प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत्त कासीये प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अग्रभाग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, राज-संज्ञा, उपकरण, प्रदान किया जाने वाला बुक, छात्रावास बुक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-वर्षिय हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ पैगिंग शेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघनित पाठ्यक्रम को प्रभावे करने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कर्मी गवे अभियेष्ट, मुनि-असन, पन्नीषर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत में उपेक्ष किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरीक्त कर प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो अस्मान संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक नवलीय जिलागत के दौरान यदि संस्था में भूमि, मजान, पर्याप्तता, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के अनुरूपानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की विमति में निवन्तानुसार अनुमानानुसार कार्यवाही की जायेगी।


(एस०आर० खान)

सचिव

पुं०सं०- प्राथमिक शिक्षा सम्बद्धता 2022/7318-4455

दिनांक: 30/08/2022

पतिविति-
प्राध्यापक/निदेशक, R.C.C. COLLEGE OF PHARMACY


(एस०आर० खान)

सचिव

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 03/04/2021

कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कालेज/निल ओंके इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 03/04/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4079-R.G.C.COLLEGE OF PHARMACY,VILL & POST-GANESHPUR,BASTI-272002

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीन पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुका प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आईसीटीआईपीसीआई से अग्रामी स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविधानों/विनियमों/शासनआदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेगित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सत्र-सञ्चा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ भौगोलिक रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आईसीटीआईपीसीआई परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव -

पु०सं०- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता०२०२१/३५३३-४५०९

दिनांक: ०५/०३/२०२१

प्रतिलिपि -

प्रधानाचार्यनिदेशक, R.C.C. COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST-GANESHPUR, BASTI-272002


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
पुस्तक इलेवा लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

--कार्यालय धाप--

अधिस भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारसी अकादमिक और इन्फोर्मा नई दिल्ली द्वारा संचित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, पुस्तक लखनऊ से सम्बद्धता/अनुमोदन विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिस प्राथमिक शिक्षा परिषद, पुस्तक लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संचालन हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आरंभित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/अनुमोदन/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य महो पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त से अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक से पर-3 में डिप्लोमा इन पारसी अकादमिक संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का इजाजत प्राप्त गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

- निम्नी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मैरि पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, पुस्तक लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें स्थापित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अधिस पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या की प्राथमिक शिक्षा परिषद, पुस्तक लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था सं. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईओ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4079	आर्यसोशियलिज्म कॉलेज और कार्मैरि शिक्षा एवं प्रौ- लखनऊ, पारसी।	डिप्लोमा इन कार्मैरि	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एअर/पीठसीआईओ/पीठसीआईओ द्वारा निर्दिष्ट की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विधिवत्प्राप्त 1982 संगोपन विधिवत्प्राप्त-2018 तथा अन्य निर्दिष्ट नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निदेशिका संशुद्धि द्वारा निर्दिष्ट गुरुक तीन वर्षीय बच्चों पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,100.00/- प्रतिवर्ष की वसूली करेगी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 41,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु वसूली करेगी पाठ्यक्रम की अधिकतम हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष गुरुक ही कार्यकाल/प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त धाप/अनुमोदन से गुरुक के सम्बन्ध में लख-लख एवं

.....


शासन द्वारा निर्गत विन्चे जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किए जाने आवश्यक होगा। पीसा निर्धारण समिति द्वारा यदि रात्र 2020-21 हेतु पीसा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीसा की गणित्यक्रम दरे जानू होंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संघाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के शिक्षा सह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता मुक्त जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एअर्वायर्स/पीसीआई से आगामी रात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अगले दूरे विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशावली, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी वाद्यकर्म की संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में सम्बन्धित शासन द्वारा शासनादेशों का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र वापर किया जाता है तथा वापर पत्र के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संपत्ती आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिकूल संबंध को कर्त्तव्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी वाद्यकर्म संस्थानित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लक्षणक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु आपत्तिनिर्माण प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आवेदित को उपलब्ध कराना होगा क्योंकि उन्हें प्रवेश की (आपत्तिनिर्माण के सम्बन्ध से अगला संस्था रात्र पर सीटी प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत गणित्यक्रम अंशकन विधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्ध सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिकृति, स्टाफ, साल-साप्ता, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, छात्रावास मुक्त आदि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त उपाकरण उपलब्ध करने की सम्बन्ध रखने के सम्बन्ध में सम्बन्ध आवश्यक सम्बन्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघातित वाद्यकर्म को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति को सम्बन्ध उपलब्ध कराये दूरे अभिलेख, सुनि-बन्ध, पत्नीपर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वाद्यकर्म के संभालन में ज्वोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्ध संस्था की सम्बद्धता सम्बन्ध विन्चे जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालन विन्चे जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(आ. आ. आ. आ. आ. आ.)
सचिव

सूचना- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-2141

उद् दिनांक: 15-09-2020

प्राविधिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, आनंदीयसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विलेज एण्ड पो- गणेशपुर, बस्ती।

(आ. आ. आ. आ. आ. आ.)
सचिव